गृह (ग्रुप-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आवक संख्या 3692
दिनांक 22/11/21

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2021 जयपुर, दिनांक 18/11/2021

आदेश

श्री नन्दराम भादू पुत्र श्री राजूराम (सामान्य) एवं श्री प्रभुलाल पुत्र श्री गोपी लाल (सामान्य) पुलिस निरीक्षक के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृखंला** की निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति की अभिशंषाओं के आधार पर पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

वर्ष 2015–16 :–

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृखंला की वर्ष 2015–16 की दिनांक 10.11.2015 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा श्री नन्दराम भादू पुत्र श्री राजूराम (सामान्य) के विरूद्व पुलिस मुख्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक व–13(4)पु0स/डी0ई0/गंगानगर/06/2130–35 दिनांक 29–05–2006 द्वारा नियम 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच के कारण इनकी सिफारिशे सीलड कवर में रखी गई थी। महानिदेशक पुलिस के आदेश क्रमांक 772–76 दिनांक 26.02.2021 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्वि बिना भविष्य प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण श्री नन्दराम भादू पुत्र श्री राजूराम (सामान्य) की वर्ष 2015–16 में सीलड सिफारिश को निरस्त करते हुए पदोन्नति से वंचित किया जाता है तथा उक्त रिक्ति के विरुद्व श्री चन्द्र प्रकाश पारीक पुत्र श्री राधेश्याम (सामान्य) को वर्ष 2015–16 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा इनकी वरिष्ठता श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्रीलाल सिंह (सामान्य) के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2016–17 :–

श्री नन्दराम भादू पुत्र श्री राजूराम (सामान्य) को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृखला में वर्ष 2016–2017 में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है तथा उनकी वरिष्ठता श्री अहमद शरीफ पुत्र श्री मुनाफ अली (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री भंवर रणधीर सिंह पुत्र श्रीमूल सिंह (सामान्य) के नाम के उपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2016–2017 में सामान्य वर्ग के अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश पारीक पुत्र श्री राधेश्याम (सामान्य) के पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

वर्ष 2020–21 :–

श्री प्रभुलाल पुत्र श्री गोपी लाल (सामान्य) द्वारा परिनिन्दा के दण्डादेश दिनांक 24.08.2015 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर गृह (ग्रुप–11) विभाग के आदेश दिनांक 24.06.2021 द्वारा उक्त दण्डादेश को अपास्त किये जाने के कारण इनको वर्ष 2020–21 कनिष्ठ वेतन श्रृखंला में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री अनूप सिंह पुत्र श्री लाल सिंह (सामान्य) के नीचे तथा श्री सत्यनारायण पुत्र श्री हरिनारायण (सामान्य) उपर निर्धारित की जाती है।

श्री अमृत लाल सोनी पुत्र श्री पूनम चन्द का वर्ष 2020–21 में चयन अभिशंषा के बन्द लिफाफे को निरस्त करते हुए पदोन्नति से वंचित किया जाता है।

यह पदोन्नति मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण तिथि से पूर्व तक नोशनल एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रुप से वेतन लाभ देय होगा। उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज0, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को "Inspector to RPS (Junior Scale) Promotion Order" शीर्षक से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

18/11/21
(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस